

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध एवं त्वरित तरीके से दाखिल-खारिज एवं भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र का निष्पादन

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दो सेवा उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनकी समय सीमा निम्न है:

क्रमांक	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	
1	दाखिल खारिज	दाखिल खारिज वादों का निष्पादन-		
	(i) नियमित अर्द्ध न्यायिक न्यायालय में	(क) आपति रहित वाद	अंचलाधिकारी	18 कार्यदिवस
		(ख) वाद, जिनमें आपति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	60 कार्यदिवस
		(ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्यदिवस
	(ii) शिविर में	दाखिल खारिज वादों निष्पादन-	अंचलाधिकारी	15 कार्यदिवस
		(क) आपति रहित वाद		
		(ख) आपति विहीन वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 3 कार्यदिवस
		(ग) आपति सहित वाद	अंचलाधिकारी	60 दिवस
		(घ) आपति युक्त वाद संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्यदिवस
	2	भूमि धारण (पोजेशन) प्रमाण-पत्र	लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी

इन दोनों सेवाओं का निष्पादन समय सीमा के अंदर कि जा रही है ।